

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1- बद्रीलाल पिता मांगीलाल जाट निवासी चलानिया (मृतक)
 - 1/1- मनभर देवी पत्नी ब्रदी जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
 - 1/2- भैरू पिता बद्री जाट नाबालिग जरिये प्रा.स. प्रार्थी सं. 1/1 मनभर पत्नी ब्रदी जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- जैतु पत्नी भैरू जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- देउ पुत्री भैरू जाट पत्नी कैलाश जाट निवासी चलानिया हाल पिपलाज
- 5- कालु पुत्री भैरू जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- जस्सु पुत्री भैरू जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादीगण

बनाम

- 1- राजचन्द्र पिता गोपाल जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालीन अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 302/2011 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 04 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा